

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडागढ (राज)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - खामाणा)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ५२७/२५ दायर दिनांक ०२१/१०/२५ निर्णय दिनांक

०२१/१०/२५



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.म..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>खामाणा</u>	<u>२५२</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>तहसालीदर कपासन की अनुश्रवा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खामाणा</u> प.ह. <u>खामाणा</u> खालास <u>२५२</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व माली तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

तहसीलदार (पु.अ.)
तहसील कपासन जिला-वित्तौडागढ
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-वित्तौडागढ